न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 86/2012

बउनवान

नाथूलाल आयु 60 साल पुत्र श्री मूलीलाल जाति–लुहार निवासी–बोहत तहसील–मॉगरोल जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

1– रामनारायण
2– बृजमोहन
3– रामकुवार

पुत्रगण श्री धन्नलाल जाति–गूजर नि. भगवानपुरा की झौपडिया(मोतीपुरा) तह. मॉगरोल

4– गोपाल पुत्र श्री श्रवणलाल जाति–माली निवासी–मोतीपुरा तहसील–मॉगरोल
5– रामगोपाल पुत्र छोटूलाल जाति–गूजर निवासी –मोतीपुरा तहसील–मॉगरोल
6– पुष्पचन्द्र पुत्र भॅवरलाल जाति–माली निवासी ग्राम बोहत तहसील–मॉगरोल
7– मॉगीलाल पुत्र लालचन्द्र जाति–माली निवासी मोतीपुरा तहसील–मॉगरोल
8– राज. सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल जिला–बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील, विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल का आदेश दिनांक 25.10.2012 उनवान रामनारायण बनाम नाथूलाल अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

उपस्थिति :–1. श्री महेशप्रकाश गौतम, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री आलोक गोयल, अभिभाषक **(रेस्पोंडेंट)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक– 13.11.2017

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,मॉगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 13/2012 बउनवान रामनारायण बनाम नाथूलाल अन्तर्गत धारा, 251 में पारित आदेश दिनांक 25.10.2012 क विरूद्व अपील प्रस्तुत कर, अपील में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मॉगरोल का आदेश कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी रेस्पों0 का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधायक के कहने व राजनैतिक दबाव में आदेश पारित किया है जो कानूनी प्रकिया व न्यायिक विवेक का पूर्ण अभाव है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह गोर नहीं किया कि प्रकरण से संबंधित दावा उपखण्ड अधिकारी,मॉगरोल के समक्ष विचाराधीन है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा के आदेश की अपील राजस्व मण्डल की कोटा बेंच के समक्ष विचाराधीन है। इस प्रकार उच्चतर न्यायालयों में लंबित विवाद के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय काननू सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी, अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं देकर, बिना सुने एक हीं दिन में कार्यवाहीं समाप्त कर दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने गोर नहीं किया कि कई प्रार्थीगण रेस्पों0 की भूमि खसरा नम्बर 526, 546, 509, 510, 513 रोड से हीं जुडी हुई है फिर उन्होने अपीलांट

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

की भूमि खराब करने के लिये झूठी कार्यवाहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्या के सिद्धान्त (Principles of Equity) के विपरीत जाकर, केवल अपीलांट के खाते की भूमि में होकर रास्ता बनाने का आदेश दिया है। जबकि उन्हे रास्ते के लिये दोनो ओर से आधी–आधी भूमि लेनी चाहिये थी और ख0नं0 509, 511, 505, 504 की भूमि सम्मिलित करनी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ते की चौडाई भी अत्यधिक 4 मीटर देने का आदेश दिया है जबकि ट्रेक्टर के लिये आठ फिट चोडे रास्ते की आवश्यकता होती है। अपीलांट की भूमि में कभी भी उक्त कायम रास्ता नहीं रही है। प्रार्थीगण पुराने रास्ते को छोडकर नया शार्टकट रास्ता लेना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय को नया रास्ता कायम करने के अधिकार नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्ययालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पों0 द्वारा कोई रास्ता खुलासा करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया है। ग्रामवासियान् के प्रार्थनापत्र पर हीं प्रकरण को धारा, 251 के तहत दर्ज कर, अपीलांट की बिना सुनवाई किये हीं उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाहीं करते हुये नया रास्ता कायम कर दिया है। जबकि ग्राम भगवानपुरा के ख0नं. 506, 507, 508 की मेड के समीप कभी रास्ता नहीं रहा है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा दावा प्रार्थनापत्र 212 में पारित आदेश दिनांक 9.11.2010 का अवलोकन कराते हुये कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश किये है कि प्रार्थी/अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0. 506, 508 से लगवां नया रास्ता कायम नहीं करे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट प्रभावित पक्षकार को बिना सुने हीं नया रास्ता कायम कर दिया है। नया रास्ता कायम करने के अधिकार तहसीलदार को नहीं है, तहसीलदार केवल पूर्व के रास्ते को सुखाधिकार के आधार पर खुलासा कर सकता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नया 4 मीटर रास्ता कायम कर दिया है। साथ हीं कथन किया कि रेस्पों0 अपने खेत पर आने–जाने के लिये विगत कई वर्षो से पुराने रास्ते को काम में ले रहे है, उसकी भूमि कभी भी पड़त नहीं रहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनकों रास्ते संबंधी कोई परेशानी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजनैतिक दबाब में आकर, उक्त आदेश पारित किया है जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है तथा काबिल खारिजी योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2012 निरस्त फरमाया जावें।

इसके विपरीत विद्वान रेस्पोंडेंट अभिभाषक ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अपीलांट ने, रेस्पों0 के खेतों में जाने के रास्ते ख0नं0 504. 505, 510, 511, की मेड पर विगत कई वर्षो से कायम रास्ते को अपने खेत में मिला रखा है। जबकि अपीलांट के खेत ख0नं0 506, 507 की मेड के समीप वर्षो से रास्ता कायम रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र पर, मौके पर जॉच कर, पूर्व रास्ते को अपीलांट द्वारा रूकावट करने पर, उक्त अवरूद्व

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

रास्ते को खुलासा करने के आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व मौके पर पहुॅचकर, जॉच की गयी है तथा मौका बयान व पूर्व नक्शें से उक्त रास्ता लगभग 100 वर्षो से प्रमाणित पाये जाने पर, उक्त अवरूद्व रास्ते को खुलासा करने के आदेश पारित किये गये है। आदेश में किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा ग्रामवासियान् के प्रार्थनापत्र पर ग्राम भगवानपुरा की आराजी गै.मु.रास्ता 527 जो माईनर के उपर होते हुये पश्चिम दिशा में अपीलांट नाथूलाल पुत्र मूलीलाल लुहार नि. बोहत के खाते की आराजी ख0नं0 506 रकबा 2.88 है0 के लगवां ख0नं0 508 रकबा 0.11 है0 की मेठ से ख0नं0 507 में जाने के रास्ते को अपीलांट नाथूलाल द्वारा अवरूद्व करने पर, प्रकरण को धारा, 251 आरटीएक्ट के तहत दर्ज कर, विधिवत सुनवाई की गयी है तथा मौका निरीक्षण किया गया है जिससे प्रमाणित होता है कि अपीलांट द्वारा पूर्व में कायम रास्ता मोतीपुरा उर्फ भगवानपुरा से पश्चित दिशा में ख0नं0 527 गै.मु. रास्ता जो पश्चिम दिशा में माइनर के उपर होता हुआ ख0नं0 508 की मेढ़ जो दक्षिण दिशा मे जाकर ख0नं0 507 पश्चिम की ओर जाता है व आगे ख0नं0 506 की दक्षिणी मेढ पर होता हुआ ख0नं0 511 की उत्तरी मेढ़ होकर निकलता है जो राजस्व नक्शों से प्रमाणित होता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा मामला सुखाधिकार का पाये जाने पर, विवादित रास्ते की मौके पर जॉच कर, प्रश्नगत मेढ़ के रास्ता विगत 100 वर्षो से कायम होने तथा उक्त रास्ते पर अपीलांट नाथूलाल पुत्र मूलीलाल लुहार नि. बोहत के द्वारा रास्ता अवरूद्व करना प्रमाणित होने पर, रास्ता को खुलासा कर, बेदखली की कार्यवाहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक व कानूनी त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Web Copy - Not Official